2

संख्या-सी-181/61-2-2022-800(171)/2022

प्रेषक,

डा० पी० सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 जून 2022

विषय- जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित सड़ेपी पिपरहा गैस स्टेशन के समक्ष दूसरी बार स्वीकृत योजना हेतु निर्माण कार्य में वैधानिक पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रस्तावित 0.1767 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.5897 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.7664 हे० वनभूमि के बिना दूसरा स्थान न मिलने/उपलब्ध होने की अनुपलब्धि के संबंध में। एफ.ए.सी. संख्या एफसी/यूपी/पाइपलाइन/152749/2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका पत्रांक-3525/11-सी-एफपी/यूपी/पाइपलाइन/152749/2022 दिनांक 15.06.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। पत्रावली के परीक्षणोपरान्त निम्न आपत्तियाँ पायी गई हैं :-

1. पत्रावली के पृष्ठ-10 के अनुसार आगे के 4 इंच व्यास के अपना भूमिगत पेट्रोल पाइप लाइन बिछाए जाने में प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि क्षेत्रफल 0.7070 हे० है।
2. पत्रावली के पृष्ठ-10 के अनुसार आगे के 2 इंच व्यास के अपना भूमिगत पेट्रोल पाइप लाइन बिछाए जाने में प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि क्षेत्रफल 0.0594 हे० है।
3. कुल 0.7664 हे० आरक्षित वनभूमि का उल्लेख पृष्ठ 40/41 में अंकित विवरण के क्रम सं० 3 अर्थात वनभूमि 0.1767 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.5897 हे० आरक्षित वनभूमि प्रस्तावित है, जो त्रुटिपूर्ण/भ्रामक है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट कराते हुए संशोधित प्रस्ताव/प्रमाण पत्र अपनी संस्तुति सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by राम प्रकाश सिंह
Date: 16-06-2022 15:31:08
Reason: Approved
(डा० पी० सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-3597/11-सी-FP/UP/Pipeline/152749/2022, लखनऊ, दिनांक: जून 16 ,2022

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, अमाव खण्ड, उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।